



पुर्नविलोकन याचिका क्र. /2014

प्रस्तुती दिनांक - 5-6-14

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
कैम्प इन्दौर के समक्ष. रिग्न - 2034-PBR114

श्रीमती रूपाबाई पति अजीत दांगी

निवासी - ग्राम राजधरा, तहसील व जिला इन्दौर — आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
तहसीलदार, इन्दौर
3. रामचन्द्र पिता शंकरलाल गुंजाल मराठा
मृतक तर्फे वारिस :-
सरोज पिता हरिभाऊ गुंजाल
निवासी - ग्राम मुण्डलादोसदार,
तहसील व जिला इन्दौर

श्री महेन्द्र सिंह युजूर
प्राची अभिभावक द्वारा दिनांक 5/6/2014
को प्रस्तुत ✓

351/05-06-2014

कबीर

— अनावेदकगण

पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-4129
- पीबीआर/2013 में दिनांक 27.03.2014 को पारित आदेश
के पुर्नविलोकन हेतु सदर याचिका आवेदक की ओर से
निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-

- 2 पर

17

आपत्त कार्य

श्री जय

17-6-14

19-6-14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2034-पीबीआर/भू.रा./14

जिला इन्दौर


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

5-3-2018

आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलतः कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है ।




अध्यक्ष